छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक: 513/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/08/2021

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक
2. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक

विषय:– अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में वायु मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों हेतु कोविड जाँच की अनिवार्यता संबंधी दिशा–निर्देश ।

संदर्भ:– सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 489/स.सा.प्र.वि./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/04/2021

--00--

संदर्भित परिपत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड–18 नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों से वायु मार्ग से छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच के संबंध में निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किया जाता है:–

1. कोविड–19 आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जावेगी। उक्त रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी अथवा एसआरएफ आईडी अंकित न होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आर.टी.पी.सी.आर. जाँच के लिए निर्देशित किया जाएगा।
2. ऐसे यात्री जिनके पास कोविड–19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण हो उन्हें भी कोविड–19 आर.टी.पी.सी.आर.की 96 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आर.टी.पी.सी. आर./आर.ए.टी. जाँच अनिवार्य होगी।
3. आर.टी.पी.सी.आर. जाँच हेतु सैंपल देते समय व्यक्ति को फोटो, आई.डी एवं मोबाईल नंबर देना अनिवार्य होगा एवं मोबाईल नंबर से जांच दल सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाईल नंबर प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाईल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाईल नंबर से मिस्ड कॉल देकर मोबाईल नंबर प्रमाणित करा सकते है।
4. यह निर्देश 8 अगस्त 2021 से लागू होंगे।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग